राजकीय महाविद्यालय गोसाईखेड़ा, उन्नाव, उ० प्र०

प्राध्यापक का नाम - गुरु प्रसाद राठौर (असि० प्रोफेसर)
विषय का नाम - राजनीति विज्ञान
कोर्स (CSJMU) - बी० ए०-प्रथम वर्ष
टॉपिक का नाम - लोकसभा के पदाधिकारी
सब-टॉपिक नाम - लोकसभा के उपाध्यक्ष
लोकसभा के महासचिव

Guru Prasad Rathaur
Asst. Professor (Political Science)
Government Degree Colleges
Gosaikheda, Unnao

Scanned by TapScanner

लोकसभा उपाध्यक्ष

लोकसभा की कार्यवाही निर्बाधरुप से संचालित करने के लिए अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष का भी सदस्यो द्वारा चयन किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संघ के पदेन वरीयता क्रम में उपाध्यक्ष का स्थान 16 वाँ है। वह बजट समिति का सभापति होता है। वस्तुत: उपाध्यक्ष पीठासीन उपाधिकारी होता है।

प्राय: विपक्ष के किसी सदस्य को ही उपाध्यक्ष चुना जाता है। वह दलीय राजनीति में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन सदन में अपनी निष्पक्षता बनाये रखने के लिए वह साधारण विवादास्पद मामलों से अपने को दूर ही रखते हैं।

लोकसभा की सभापति - तालिका

सभापति तालिका में 6 सदस्य होते हैं जि-हें अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इ-हीं 6 सदस्यों में से कोई सदस्य सदन की अध्यक्षत करते हैं। तालिका का सदस्य जब लोकसभा की अध्यक्षत कर रहा हो तो वह किसी महत्वपूर्ण मामले को अध्यक्ष के निर्णय के लिए सुरक्षित रख सकता है।

सभापति तालिकामेंजो सदस्य मनोनीत होते हैं वे सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दल दोनों से लिये जाते हैं। इसमें महिला सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व रहता है। सभापति तालिका के सदस्यों की कार्यअवधि सामान्यत: एक वर्ष की होती है किन्तु कोई सदस्य कई बार मनोनीत किया जा सकता है।

→ चौदह दिनों की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के वर्तमान समस्त सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है।

Scanned by TapScanner

लोकसभा का महासचिव

लोकसभा में महासचिव की स्थिति अत्यंत असाधारण मानी गयी है। उनसे यह आशा की जाती है कि उन्हें लोकसभा और उसके कार्यों से सम्बन्धित सभी बातों का ज्ञान आवश्यक रुप से होगा। संसद के समस्त कार्यकलापों में महासचिव को अध्यक्ष, सदन और सदस्यों का सलाहकार माना जाता है। वह सभा पटल के प्रमुख अधिकारी होते हैं। संसदीय ग्रन्थालय, शोध-संदर्भ, प्रलेखन एवं सूचना-सेवाएं महासचिव के अधीन ही कार्य करती हैं। वह संसद भवन तथा सम्बंधित सम्पत्तियों के रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं।

महासचिव का कर्तव्य है कि वह समय-समय पर रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। महासचिव पक्षगत स्वार्थों से सदैव दूर रहते हैं।

महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्त हो जाने पर वह निर्धारित सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। वह सदन के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए सदन में उनकी आलोचना नहीं की जा सकती।

महासचिव सदन के अधिवेशन में उपस्थिति होने के लिए राष्ट्रपति की ओर से सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। वह अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक को प्रमाणित करते हैं। वह सदन की ओर से संदेश भेजते हैं और आने वाले संदेश को प्राप्त भी करते हैं।

Guru Prasad Rathaur
Asst. Professor (Political Science)
Government Degree Colleges
Gosaikheda, Unnao

Scanned by TapScanner